कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

–: आदेश :–

क्रमांक/ 151 /एडीएम/2020 गरियाबंद, दिनांक 30.03.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु गृह सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 द्वारा दिनांक 25.03.2020 से 21 दिन तक की अवधि तक संपूर्ण देश में लाकडाउन हेतु आदेश जारी की गई है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 941/एडीएम/2020 गरियाबंद दिनांक 22.03.2020 द्वारा संपूर्ण गरियाबंद जिले के लिए धारा 144(1) लगायी गई है। कलेक्टोरेट परिसर स्थित राहत एवं आपदा शाखा में जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम (07706–241288) भी स्थापित किया गया है। कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार की रोकथाम तथा उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी अति–आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता, मेडिकल दवाएं एवं अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के भीतर आम जनता तक सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "कोविड–19 लॉजिस्टिक फेसिलिटेशन टीम (COVID-19 Logistic Facilitation Team) गठित की जाती है:–

01. जिला स्तरीय अधिकारी का नाम :–

क्रमांक	प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम	कार्यक्षेत्र
01	श्री हुलेश कुमार डड़सेना, खाद्य अधिकारी, जिला गरियाबंद	संपूर्ण जिला गरियाबंद
02	श्री अवधेश मिश्रा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, गरियाबंद	
03	श्री आर.आर. ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग गरियाबंद	
04	श्री रविशंकर शर्मा नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गरियाबंद	
05	श्री तरूण बिरला, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद	

02. सहायक प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी का नाम :–

क्रमांक	सहायक प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम	कार्यक्षेत्र
01	01.श्री भुवनेश्वर चेलक, सहायक खाद्य अधिकारी जिला गरियाबंद 02.सुश्री संध्या वर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद गरियाबंद 03.श्री हरिश मांझी, उप अभियंता नगर पालिका परिषद गरियाबंद	नगर पालिका परिषद गरियाबंद
02	01. श्री सचित साहू मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत छुरा 02. सुश्री रीतु मौर्य, खाद्य निरीक्षक जिला गरियाबंद 03. उप अभियंता, नगर पंचायत छुरा 04.मुख्यालय पटवारी छुरा	नगर पंचायत छुरा
03	01. श्री चंदन मानकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत राजिम 02. उप अभियंता, नगर पंचायत राजिम 03 .मुख्यालय पटवारी राजिम	नगर पंचायत राजिम

Scanned with CamScanner

04	01. श्रीमती येसा लहरे मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत फिंगेश्वर 02. सोनाली ठाकुर ,खाद्य निरीक्षक फिंगेश्वर जिला गरियाबंद 03. उप अभियंता, नगर पंचायत फिंगेश्वर 04.मुख्यालय पटवारी फिंगेश्वर	नगर पंचायत फिंगेश्वर
05	01.श्री राकेश साहू तहसीलदार गरियाबंद 02. राजस्व निरीक्षक गरियाबंद 03.मुख्यालय पटवारी गरियाबंद	तहसील गरियाबंद
06	01.श्री प्रेमूलाल साहू तहसीलदार छुरा 02. राजस्व निरीक्षक छुरा 03.मुख्यालय पटवारी छुरा	तहसील छुरा
07	01.श्री ओ.पी.वर्मा तहसीलदार राजिम 02.राजस्व निरीक्षक राजिम 03.मुख्यालय पटवारी राजिम	तहसील राजिम
08	01. शाह जफर खान सहायक खाद्य अधिकारी मैनपुर 02. राजस्व निरीक्षक मैनपुर 03. मुख्यालय पटवारी मैनपुर	तहसील मैनपुर
09	01.श्री सुधीर गुरू सहायक खाद्य अधिकारी देवभोग 02. राजस्व निरीक्षक देवभोग 03.मुख्यालय पटवारी देवभोग	तहसील देवभोग

उपरोक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उन्हें आबंटित कार्यक्षेत्र अंतर्गत कोराना वायरस के संबंध में इस कार्यालय/राज्य शासन/भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए धारा 144 की अधीन प्रतिबंधों से मुक्त, सभी अति–आवश्यक सेवाओं यथा दाल, चावल, सब्जी आदि आवश्यक दैनिक उपरोगी वस्तुओं की उपलब्धता, मेडिकल दवाओं एवं अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के भीतर आम जनता तक सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे। उपरोक्त अधिकारी आवश्यकतानुसार क्षेत्र भ्रमण करेंगे। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश कमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 गाईडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन करते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर खाद्य सामग्री इत्यादि का विक्रय करें तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 सहित सुसंगत विधियों के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त अधिकारीगण किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत, फीडबैक इत्यादि पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा व्हाट्सपएप के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग करेंगे।

टीपः– आम जनता आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु यदि हमाल की आवश्यकता हो तो श्री देवेन्द्र नाथ पात्र, प्रभारी श्रम पदाधिकारी जिला गरियाबंद मोबाईल नंबर–9754053988 से संपर्क करेंगे। साथ ही इस कार्य में लगाये गये हमाल की सूची संबंधित संस्था से लेकर जिला कार्यालय से मूव्हमेंट पास जारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(श्याम धावड़े)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ. कमांक/ 1151 /एडीएम/2020 गरियाबंद, दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सर्व संबंधित ....को आदेश पालनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. सर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला–गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. उप संचालक, जन संपर्क विभाग, गरियाबंद को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित।
9. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला–गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(श्याम धावड़े)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner